राजभाषा पदक एवं पुरस्कार योजना

नियम एवं दिशानिर्देश

राजभाषा प्रकोष्ठ
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

राजभाषा पदक एवं पुरस्कार योजना

विश्वविद्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले योग्य शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' प्रदान किया जाता है। 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' योजना में विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्मिक समूह को समुचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से अधोलिखितानुसार पुरस्कार/पदक का वर्गीकरण किया गया है –

क्र.	राजभाषा पदक एवं पुरस्कार	संख्या
1.	शिक्षक संवर्ग हेतु	01
2.	समूह 'क' के अधिकारी संवर्ग हेतु	01
3.	समूह 'ख' के अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग हेतु	01
4.	समूह 'ग' के कर्मचारी संवर्ग हेतु	01
	कुल	04

प्रत्येक संवर्ग हेतु 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी के चयन हेतु निम्नलिखित नियम/मानक/प्रक्रिया तय की गयी है।

(क) शिक्षक संवर्ग हेतु

शिक्षक संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू विभाग एवं भाषा विज्ञान को छोड़कर) में नियमित रूप से कार्यरत समस्त प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पात्र होंगे। पुनर्नियोजित शिक्षक/विजिटिंग प्रोफेसर/अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकगण इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

निर्णायक मण्डल:

उक्त योजना में उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु निर्णायक मंडल का गठन निम्नलिखित प्रकार होगा –

1.	कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक	अध्यक्ष
2.	निदेशक, संकाय गतिविधियां	सदस्य
3.	विज्ञान एवं तकनीकी विषय के एक प्राध्यापक (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
4.	कला एवं मानविकी विषय के एक प्राध्यापक (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
5.	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	सदस्य
6.	कुलसचिव	सदस्य
7.	हिन्दी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ	समन्वयक

चयन हेतु मानक –

1. कक्षा शिक्षण में हिन्दी प्रयोग की स्थिति
2. हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक/प्रवीण)
3. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति
4. विज्ञान/तकनीकी विषय पर हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन(आईएसबीएन सहित)
5. प्रतिष्ठित शोधपत्रिका/पत्रिका(आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में तकनीकी विषय पर हिन्दी में शोधपत्र/आलेख प्रकाशन
6. प्रतिष्ठित पत्रिका(आरएनआई/आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में हिन्दी में उच्चस्तरीय नवोन्मेषी शोधालेख का प्रकाशन
7. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिन्दी में व्याख्यान का प्रकाशित स्वरूप
8. हिन्दी में पाठ्य सामग्री निर्माण(लक्षित समूह को स्पष्ट करते हुए)
9. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार
10. प्रशासकीय/कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी प्रयोग की स्थिति
11. हिन्दी माध्यम में अपने विषय से सम्बन्धित डिजीटल कार्यक्रमों के निर्माण की स्थिति
12. राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता
13. पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी-एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गयी या पाठ्यपुस्तक के रूप में लिखी गयी पुस्तक पात्र नहीं होगी ।
14. पुस्तक (आईएसबीएन) कम-से-कम 150 पृष्ठों की होनी चाहिए।
15. संयुक्त रूप से लिखित रचना मान्य नहीं होगी।

(ख) समूह 'क' के अधिकारी संवर्ग हेतु

समूह 'क' के अधिकारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/ अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत् समस्त अधिकारीगण, भले ही वे तकनीकी क्षेत्र के हों या प्रशासनिक क्षेत्र के, पात्र होंगे। हालांकि, विश्वविद्यालय में सांविधिक पदों यथा– कुलसचिव, वित्ताधिकारी , परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पर कार्यरत अधिकारीगणों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्णायक मण्डल:

उक्त योजना में उपयुक्त अभ्यर्भी के चयन हेतु निर्णायक मंडल का गठन निम्नलिखित प्रकार होगा –

1.	कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	सदस्य
3.	कुलसचिव	सदस्य
4.	हिन्दी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ	समन्वयक

चयन हेतु मानक –

1. हिन्दी ज्ञान की स्थिति(कार्यसाधक/प्रवीण)
2. फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियों की स्थिति
3. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति
4. मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति
5. हिन्दी /अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति
6. बैठकों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति
7. अधीनस्थ कार्मिकों को हिन्दी में कामकाज के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का स्तर
8. राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/तिमाही बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता
9. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार
10. अधीनस्थ कार्यालय में द्विभाषी रबर मुहर/पत्रशीर्ष के प्रयोग की स्थिति
11. अधीनस्थ कार्यालय में प्रदर्शन सामग्री/उपस्थिति पंजी/ फाइलों के शीर्षक में हिन्दी प्रयोग की स्थिति
12. अधीनस्थ कार्यालय में धारा 3(3) से संबंधित दस्तावेजों को द्विभाषी/हिन्दी में जारी किए जाने की स्थिति
13. हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशित विशिष्ट कृतियां

(ग) समूह 'ख' के अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग हेतु

समूह 'ख' के अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत् समस्त अधिकारी/कर्मचारी, भले ही वे तकनीकी क्षेत्र के हों या प्रशासनिक क्षेत्र के, पात्र होंगे।

निर्णायक मण्डल:

उक्त योजना में उपयुक्त अभ्यर्भी के चयन हेतु निर्णायक मंडल का गठन निम्नलिखित प्रकार होगा –

1.	कुलपति द्वारा नामित वरिष्ठ प्राध्यापक	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	सदस्य
3.	कुलसचिव	सदस्य
4.	वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
6.	हिन्दी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ	समन्वयक

चयन हेतु मानक –

1. हिन्दी ज्ञान की स्थिति(कार्यसाधक/प्रवीण)
2. फाइलों पर हिन्दी टीप /टिप्पणियों की स्थिति
3. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति
4. मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति
5. हिन्दी टंकण/आशुलिपि/अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति
6. विभिन्न बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने की स्थिति
7. राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/तिमाही बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता
8. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार
9. प्रतिष्ठित पत्रिका(आरएनआई/आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में हिन्दी में जीवनी/समीक्षा/कहानी/लघुकथा/आलेख/कविता/अनूदित सामग्री/उपन्यास का प्रकाशन
10. प्रयोगशाला इत्यादि में प्राप्त शोध परिणामों का प्रतिवेदन हिन्दी में तैयार करना।

(घ) समूह 'ग' के कर्मचारी संवर्ग हेतु

समूह 'ग' के अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत् समस्त कर्मचारीगण पात्र होंगे अर्थात् नियत वेतनमान प्राप्त/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्स कर्मचारीगण पात्र नहीं होंगे।

निर्णायक मण्डल :

उक्त योजना में उपयुक्त अभ्यर्भी के चयन हेतु निर्णायक मंडल का गठन निम्नलिखित प्रकार होगा –

1.	कुलपति द्वारा नामित वरिष्ठ प्राध्यापक	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	सदस्य
3.	कुलसचिव	सदस्य
4.	वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
6.	हिन्दी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ	समन्वयक

चयन हेतु मानक -

1. हिन्दी ज्ञान की स्थिति(कार्यसाधक/प्रवीण)
2. फाइलों पर हिन्दी टीप /टिप्पणियों की स्थिति
3. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति
4. मूल पत्राचार/नोटशीट में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति
5. हिन्दी टंकण/आशुलिपि/अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति
6. विभिन्न बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने की स्थिति
7. राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/तिमाही बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता
8. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार
9. प्रयोगशाला इत्यादि में प्राप्त शोध परिणामों का प्रतिवेदन हिन्दी में तैयार करना।
10. प्रतिष्ठित पत्रिका(आरएनआई/आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में हिन्दी में जीवनी/समीक्षा/कहानी/लघुकथा/आलेख/कविता/अनूदित सामग्री/उपन्यास का प्रकाशन

सामान्य नियम एवं शर्तें

1. प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार चयन हेतु गठित समिति का कार्यकाल एक वित्तीय वर्ष होगा।
2. **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार योजना'** में प्रविष्टियां भेजने हेतु प्रत्येक वर्ष अधिसूचना जारी की जायेगी।
3. निर्धारित प्रपत्र में अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाली विधिवत रूप से भरी हुई प्रविष्टियों पर ही विचार किया जायेगा । आवेदन के साथ प्रमाण हेतु दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है।
4. प्रविष्टियां उचित माध्यम/नियंत्रण अधिकारी से प्रेषित/अग्रेषित होनी चाहिए ।
5. चयन के संदर्भ में निर्णायक मंडल/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. निर्णायक मंडल को आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की जांच का अधिकार होगा।
7. निर्णायक मंडल द्वारा अपना निर्णय तय मानकों के आधार पर दिया जायेगा।
8. यदि किसी स्थिति में निर्णय के संदर्भ में निर्णायक मंडल के दो सदस्य पक्ष एवं दो सदस्य विपक्ष में रहते हैं तो निर्णायक मंडल के अध्यक्ष को अपना मत देने का अधिकार रहेगा। हालांकि किसी भी स्थिति में निर्णायक मंडल के समन्वयक को अपना मत देने का अधिकार नहीं होगा।
9. सामान्य परिस्थितियों में **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार'** विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. सर हरीसिंह गौर के जन्मदिवस अर्थात गौर जयन्ती(26 नवम्बर) को प्रदान किए जायेंगे। हालांकि यथास्थिति इन्हें किसी अन्य अवसर पद भी प्रदान किया जा सकता है।
10. **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार'** के रूप में प्रत्येक वर्ग के विजेता प्रतिभागी को रु. 3000 नकद, 30 ग्राम चांदी का पदक, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
11. किसी वित्तीय वर्ष में एक बार **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार'** प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन पर आगामी वर्षों में विचार नहीं किया जायेगा।
12. राजभाषा प्रकोष्ठ के किसी भी वर्ग के अधिकारी/कर्मचारीगण **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार योजना'** में भाग नहीं ले सकेंगे।
13. किसी भी वर्ष किसी एक संवर्ग या सभी संवर्गों के किसी भी अभ्यर्थी को पुरस्कार न देने का अधिकार भी निर्णायक मंडल को होगा। हालांकि कारण सहित इसका स्पष्ट उल्लेख निर्णायक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त में किया जाना आवश्यक है।
14. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार योजना'** से सम्बन्धित मानकों/नियमों/शर्तों में किसी भी समय यथावश्यक कटौती/संशोधन/परिवर्धन किया जा सकता है।
15. यदि किसी वर्ष किसी भी श्रेणी में योग्य/ उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाया जाता है तो उस वर्ष **'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार'** शून्य घोषित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में पुरस्कार को अगले वर्ष हेतु अग्रेषित/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।